

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 77 /2025


दिनांक : 15 .02.2025

श्रीमती नीतू चौधरी (RJ01236), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी (पाली) को दिनांक 18.02.2025 से 04.03.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी (पाली) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी (पाली) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/23/2019/1350

दिनांक : 15 .02.2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 594 दिनांक 06.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीतू चौधरी (RJ01236), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी (पाली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी (पाली)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी (पाली)।


15/02/25
सहायक रजिस्ट्रार